

अपनी जिंदगी में
अगर वाकई कुछ
हासिल करना है
तो, अपने तरीकों
को बदलों अपने
इरादों को कभी
नहीं।

क्या है गिरफ्तारी एवं कैद से संरक्षण का मौलिक अधिकार जानिए/fundamental of right.....

भारतीय संविधान अधिनियम, 1950 में अनुच्छेद 19 से 22 तक प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है प्रत्येक नागरिकों का अर्थ यह होता है कोई अपराध के आरोपी या किसी अपराध के अपराधी को भी स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 20 दोषसिद्धि से पूर्व आरोपी को संरक्षण का अधिकार देता है एवं अनुच्छेद 22 बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण का अधिकार देता है जानिए।

भारतीय संविधान अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 22 की परिभाषा?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार हुए व्यक्ति, आरोपी व्यक्ति को संरक्षण से संबंधित मौलिक अधिकार देता है यह संरक्षण आरोपी को दो प्रकार से दिया जाता है-
1. सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी से संरक्षण अर्थात् कोई भी दंडात्मक गिरफ्तारी पर आरोपी को संरक्षण प्राप्त होता है।
2. निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी से संरक्षण अर्थात् प्रतिबंधित आत्म कैद से आरोपी को संरक्षण प्राप्त होना।

उपर्युक्त मौलिक अधिकार किस को प्राप्त नहीं है जानिए-?

1. शत्रु देश के व्यक्ति को।
2. निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या बंदी व्यक्ति को जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980, चोरी अधिनियम, 1980, स्वापक अधिनियम, 1988 आदि।



- लेखक बीआर अहिरवार (एडवोकेट एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665

बाजारी रिवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980, चोरी अधिनियम, 1980, स्वापक अधिनियम, 1988 आदि।

क्या विवाह शून्य होने के बाद पति, पत्नी को गुजारा भत्ता दे सकता है जानिए/legal General Knowledge.....



- कानूनी जानकारी लेखिका श्रीमती ज्योति सिंह चौहान मोबाईल 7999293638

शून्य विवाह ऐसा वैवाहिक संबंध होता है जिसे प्रारंभ से ही वैध नहीं माना गया है अर्थात् जिसका कोई महत्व नहीं होता है ऐसे विवाह निम्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे की जबर्दस्ती सहमति लेकर किया गया विवाह, धोका या जालसाजी से किया गया विवाह, बिना तलाक के किया गया दूसरा विवाह आदि विवाह प्रारंभ से ही शून्य (अवैध) विवाह होते हैं। शून्यकरण विवाह वह विवाह होते हैं जो प्रारंभ से वैध होते हैं लेकिन शादी के कुछ समय बाद इनको समाप्त किया जाता है जैसे तलाक द्वारा, किसी प्रथा के अनुसार छोड़ दिया जाना आदि शून्यकरण विवाह अभी अवैध नहीं होते हैं। सवाल यह है की क्या विवाह शून्य (अवैध) होने के बाद पति अपनी पत्नी को भरण पोषण देने का अधिकार रखता है जानिए सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट।

देवकी बनाम शशि भूषण नारायण आजाद-? उक्त मामले में पत्नी द्वारा पति पर भरण पोषण का क्लेम किया गया। पति ने बचाव में विवाह के शून्य होने का तर्क प्रस्तुत किया इस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब तक सिविल न्यायालय द्वारा विवाह को अवैध घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार होगी विवाह शून्य (अवैध) होने के बाद पत्नी का यह अधिकार समाप्त होगा।

एमएसएमई इकाइयों का प्रोत्साहन आवश्यक: मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करवाएँ। इस श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों गठित की जाने से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ऐसी इकाइयों द्वारा नई तकनीक का उपयोग कर संयंत्रों का संचालन किए जाने पर भी आवश्यक मदद उपलब्ध करवाई जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज समत्व भवन के मंथन कक्ष में भोपाल में आगामी माह होने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सम्मेलन संबंधी विचार-विमर्श कर रहे थे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, सचिव एमएसएमई श्री पी. नरहरि सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बताया गया कि अप्रैल माह में भोपाल में होने वाले सम्मेलन में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल



को आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, वित्तीय संस्थान और बैंकों के वरिष्ठ पदाधिकारी, उद्योग संघों के प्रमुख, लघु उद्योग भारती, फिक्की एवं डिक्री के प्रतिनिधि भी हिस्सेदारी करेंगे। सफल स्टार्टअप और एमएसएमई के साथ ही उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय और इनक्यूबेशन सेंटरों के प्रतिनिधि, वालमार्ट, ओएनडीसी, आईआईएम इंदौर और आईआईटी दिल्ली के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किए जाएंगे। प्रस्तावित

कार्यक्रम के अनुसार सम्मेलन में मध्य प्रदेश में निर्यात संवर्धन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए वित्तीय समाधान के नए आयाम विषय पर चर्चा के साथ सामान्तर-सत्र भी होंगे। इन सत्रों में क्लस्टर डेवलपमेंट, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को परिस्थिति अनुरूप समर्थ बनाने, परिवर्तन के लिए समावेशी नीति संवाद और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए डिजिटल परिवर्तन की आवश्यकता विषय पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

MP में इन्फ्लूएंजा H3N2 की एंटी, भोपाल में पहला केस

भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में होगी सैंपल्स की जांच; स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

भोपाल। मध्य प्रदेश में इन्फ्लूएंजा H3N2 की एंटी हो गई है। इसका पहला केस राजधानी भोपाल में मिला है। गुरुवार को युवक की रिपोर्ट H3N2 पॉजिटिव मिली है। स्वास्थ्य आयुक्त ने इस संबंध में सभी जिलों के सीएमएचओ और सिविल सर्जन को एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में इसकी जांच की जाएगी। वहीं, अस्पताल में जरूरी उपकरण, दवाएं और मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य संचालनालय के मुताबिक 4 दिन पहले बैरागढ़ में रहने वाले 25 साल के युवक को सर्दी-खांसी की शिकायत हुई थी। उसके स्वैब का सैंपल इन्फ्लूएंजा H3N2 की जांच के लिए भोपाल के एम्स भेजा गया था। गुरुवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल युवक को घर में ही क्वारंटाइन किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि H3N2 पॉजिटिव युवक की सेहत स्थिर है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं है।



शुगर, हार्ट, लिवर, किडनी, कैंसर और श्वास पेशेंट को ज्यादा खतरा

एडवाइजरी के मुताबिक छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, शुगर, हार्ट, लिवर, किडनी, कैंसर व श्वास रोगियों H3N2 के संक्रमण का खतरा ज्यादा है। इन बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इसके अलावा, संबंधित बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति इन्फ्लूएंजा H3N2 का संक्रमण होने पर उनकी सेहत गंभीर हो सकती है। इन्हें अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ सकता है।

संदिग्ध मरीज को दें टैमी फ्लू

इन्फ्लूएंजा H3N2 और H1N1 के लक्षण वाले मरीजों को ओसाल्टामिविर (टैमीफ्लू) दवा दी जाए। यह दवा उन मरीजों को दी जाए, जिनमें सीजनल इन्फ्लूएंजा के लक्षणों के साथ नए वैरिएंट की आशंका हो। जिन इलाकों में थोट इन्फेक्शन के केस ज्यादा... वहां सर्वे कराएँ स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने संक्रमण बढ़ने से पहले सीएमएचओ और सिविल सर्जन को एडवाइजरी दी है।

मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना से जुड़ी प्रक्रियाएँ समय पर पूर्ण करें: मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना के प्रति बहनों का उत्साह प्रशंसनीय है। बहनों के सशक्तिकरण की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण योजना है। विभागीय अधिकारी और जिला स्तर पर पदस्थ प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी योजना से जुड़ी प्रक्रियाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज समत्व भवन के मंथन कक्ष में मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी आवश्यक तैयारियों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना का लाभ प्रदान करने के लिए पात्र बहनों का ई-केवायसी से जुड़ा कार्य पूर्ण किया जा रहा है। जिलों में कार्य को गति मिली है। मंदसौर, उज्जैन, राजगढ़, बालाघाट और इंदौर इस कार्य में प्रदेश के 5 शीर्ष जिलों में शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान 5 मार्च को मुख्यमंत्री लाइली बहना



योजना का औपचारिक शुभारंभ कर चुके हैं। योजना में 25 मार्च से आवेदन भरवाने का काम शुरू होगा। आगामी 10 जून से पात्र बहनों को प्रति माह 1000 रूपए मिलना प्रारंभ हो जायेगा। योजना का लाभ लेने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे महिलाओं को आवेदन

की पूर्ति में कठिनाई न हो। आवेदन भरने के लिये वार्ड और ग्राम में ही औपचारिक कार्यवाही पूर्ण करवाई जाएगी। जन-प्रतिनिधि, प्रशासनिक अमला और सामाजिक कार्यकर्ता बहनों के हित में सक्रिय भूमिका निभा कर योजना के क्रियान्वयन में सहयोग देंगे।

भोपाल, इंदौर में आज ओलावृष्टि

आधे MP में तेज बारिश-आंधी के आसार उज्जैन के साथ दमोह-देवास में बारिश

भोपाल। मध्य प्रदेश में 16 मार्च से बारिश का सिस्टम एक्टिव हो गया। मौसम विभाग की मानें तो शुक्रवार को भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, रीवा संभाग के साथ कटनी, जबलपुर, पन्ना, सागर और छतरपुर में तेज आंधी के साथ ओले गिर सकते हैं। इसके साथ ही, ग्वालियर, सागर-शहडोल में बारिश के भी आसार हैं। हवा की रफ्तार 40 से 60 घंटा प्रतिघंटा रह सकती है। आकाशीय बिजली के चमकने और गिरने की भी आशंका है। उज्जैन के साथ दमोह के पथरिया और देवास में बूढ़ाबादी चल रही है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है, जो 19 मार्च तक बदला रहेगा। पिछले दो दिन से भोपाल, इंदौर, सीहोर, खरगोन, नर्मदापुरम, बड़वानी, देवास, बुरहानपुर, शिवपुरी, बैतूल, रायसेन, ग्वालियर, भिंड, खंडवा, हरदा, मुरैना, उज्जैन, धार, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, डिंडोरी, दमोह, सिवनी, कटनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, रीवा और सागर में बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को भी प्रदेश के



कई जिलों में बारिश हुई। भोपाल, मंदसौर में ओले भी गिरे।

इसलिए बदला मौसम

मौसम वैज्ञानिक पांडे ने बताया कि उत्तर भारत में एक विश्वीय सक्रिय है, जो काफी मजबूत है। इसी के प्रभाव से एक प्रेरित चक्रवात साउथ-ईस्ट राजस्थान में 14 मार्च से बना हुआ है। इससे प्रदेश में मौसम बदल गया है। 16 मार्च से फिर एक पश्चिमी विश्वीय बन गया है। दक्षिण-पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी लेकर आ रही है।

भाजपा और कांग्रेस में सिर का बाल और मूँछ में लगा दाव

■ जब तक कांग्रेस सरकार नहीं हटती, बाल नहीं कटवाएंगे साय, उधर मंत्री भगत ने कहा- सरकार नहीं आई, तो मुंडवा लूंगा मूँछें

लक्ष्मण पिछई की रिपोर्ट



सभी लोगों ने देखा कि आदिवासियों का हथ्र बहुत बुरा हुआ। उन्होंने कहा- बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त विष्णुदेव साय थे और उन्हें विश्व आदिवासी दिवस यानि 9 अगस्त को ही पद से हटा दिया गया। ये आदिवासियों का अपमान है। भगत ने कहा कि केवल कांग्रेस पार्टी ने ही आज तक आदिवासियों को सम्मान दिया है। देश की आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने ही इन्हें आरक्षण दिया। शिक्षा और नौकरी में भी आदिवासी आगे बढ़ रहे हैं। अमरजीत भगत ने कहा कि क्यों छत्तीसगढ़ में आरक्षण का संवैधानिक आधार ढह गया है। विधानसभा में 32वें आरक्षण के लिए बिल पारित कर राज्यपाल के पास भेजा गया, भारतीय जनता पार्टी का नेता चाहे वह आदिवासी ही क्यों ना हो, एक बार भी राज्यपाल के पास आरक्षण बिल को पारित करवाने के लिए ज्ञापन नहीं दिया। ना कोई स्टेटमेंट दिया, ना ही केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति से इस बारे में बात की। आरक्षण को रोकने में बीजेपी मुख्य भूमिका निभा रही है।

रायपुर (युवा प्रदेश)। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद नंदकुमार साय के बाल नहीं कटवाने वाले बयान पर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नंदकुमार बाल नहीं कटवाने का बयान देकर खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में अगर हमारी सरकार वापस जीतकर नहीं आती है, तो वे अपनी मूँछ मुंडवा देंगे। दरअसल, साय ने ये दूढ़ प्रतिज्ञा ली है कि जब तक प्रदेश से कांग्रेस सरकार नहीं हटती, वे बाल नहीं कटवाएंगे। साय को भरे मंच पर बुलाकर पूर्व सांसद रामविचार नेताम ने यह ऐलान किया था। इसी बयान पर निशाना साधते हुए मंत्री अमरजीत भगत ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अगर इस बार उनकी पार्टी की सरकार नहीं बनती है, तो वे अपनी मूँछ मुंडवा लेंगे। अमरजीत भगत ने कहा कि उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत काम किया है, इसलिए कांग्रेस को जीत जरूर मिलेगी। बीजेपी में आदिवासियों का कोई महत्व नहीं है। लंबी-लंबी डींगें हकने से कुछ नहीं होता। पिछले 15 साल उनकी सरकार थी, हम

16 मार्च को अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय सभागीय कोटवारों का धरना प्रदर्शन

लक्ष्मण पिछई की रिपोर्ट

जगदलपुर (युवा प्रदेश)। नाम मात्र की मानदेय में वृद्धि से प्रदेश के 16000 कोटवार खुश नहीं हैं। इसलिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में गुरुवार को अपने-अपने संभाग में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर आयुक्त व कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। ज्ञातव्य है कि बजट में कोटवारों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हुई थी परंतु प्रमुख मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री द्वारा कोई घोषणा ना कर नाम मात्र के मानदेय वृद्धि की घोषणा की गई है। जिससे कोई कोटवार खुश नहीं है 23 फरवरी 2019 को पाटन के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी कोटवारों को नियमित करते हुए राजस्व विभाग में संविलियन करना एवं मालगुजारी भूमि को भूमि स्वामी हक में पुनः दिया जाना शामिल था, परंतु दोनों प्रमुख समस्याओं का समाधान ना कर मानदेय के नाम मात्र के वृद्धि किए जाने की घोषणा को लेकर कोटवार असंतुष्ट हैं। जिसके फल स्वरूप मुख्यमंत्री वादा निभाओ रैली एवं धरना प्रदर्शन कर प्रदेश के कोटवार अपना रोष प्रकट करने अपने अपने संभाग मुख्यालय में उपस्थित होंगे। इस आंदोलन हेतु 6 संभाग मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन होगा जो कि आजादी के पूर्व से कोटवार पीढ़ी दर पीढ़ी शासन की अंतिम कड़ी के रूप में ग्रामीण स्तर पर रहकर निष्ठा पूर्वक अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। परंतु विडंबना है



कि कोटवारों को आज तक नियमित कर्मचारी का दर्जा प्रदान नहीं हो पाया है चुनाव पूर्व कांग्रेस घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किए जाने के बाद भी शासन द्वारा कोई पहल नहीं किया गया जिसके कारण प्रदेश के कोटवारों में शासन के प्रति असंतोष व्याप्त है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बजट मानदेय में नाम मात्र का विधि किया गया जो नाकाफी है। इसमें कोटवारों को कोई खुशी नहीं है वैसे ही भूतपूर्व मालगुजारी द्वारा दी गई माफ़ी जमीन जो कि मुख्यमंत्री के अपने राजस्व मंत्री के कार्यकाल में मालिकाना हक दिया गया था वह जमीन भाजपा शासनकाल में वापस ले ली गई थी उसे

वापस हक में देने हेतु मुख्यमंत्री ने कोटवारों के प्रांतीय सम्मेलन में वादा किया था जो वर्तमान समय तक पूरा नहीं किया गया है। प्रांतीय कोटवार एसोसिएशन संघ के सभागीय अध्यक्ष चन्द्रोराम बघेल एवम जिला अध्यक्ष धर्मदास कश्यप ने कहा कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की कवायद चल रही है तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाकर उन्हें सौगात भी दे दिया गया। 75 वर्ष स्वतंत्रता के बीत जाने के बाद भी कोटवार आज अपनी गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जिनकी ओर ध्यान नहीं देना दुर्भाग्यपूर्ण है।

गरीब आदिवासी झुमरू कश्यप को आखिर मिल गया आशियाना..

लक्ष्मण पिछई की रिपोर्ट



बस्तर। जिले की भानपुरी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत भानपुरी के ग्राम रतेंगा 2 निवासी कंडरा आदिवासी समुदाय के ग्रामीण झुमरू राम कश्यप का कच्चा मकान बीते मानसून सीजन के दौरान बरसात में ढह गया था। मकान में रखे कपड़े, बर्तन, अनाज, कुछ नकदी रकम और अन्य सामान पूरी तरह नष्ट हो गए थे। तब इस परिवार पर मुसीबतों का पहलू टूट पड़ा था। बांस से टोकरी, सूपा, झांडा आदि बना और बेवकफ परिवार का भरण पोषण करने वाले झुमरू के सारे औजार भी तबाह हो गए थे, लिहाजा वह नए सिर से अपना परम्परागत व्यवसाय को भी शुरू नहीं कर पा रहा था। एक तरफ छंव की दरकार थी, तो दूसरी तरफ व्यवसाय फिर से शुरू करने की चुनौती। इन सबसे जूझते हुए झुमरू राम कश्यप ने ग्राम पंचायत के एक भवन के बाजू में वाहनों की पार्किंग के लिए बनाए गए टीन शेड को अपना ठौर बना लिया। महज 12 वर्ग फीट के टीन शेड में झुमरू राम, उसकी पत्नी सुकाली बाई, बेटी कमली व प्रमिला तथा बेटे परमेश्वर किसी तरह दिन व्यतीत करते आ रहे थे। बच्चे पढ़ाई करते हैं, लिहाजा टीन शेड के एक हिस्से को पुरानी साड़ी का पर्दा लगाकर बच्चों के लिए अध्ययन कक्ष बना लिया गया था। शेष भाग को रसोई घर और शयन कक्ष के रूप में यह परिवार उपयोग करता आ रहा था। इस समाचार पत्र ने जब झुमरू राम कश्यप की व्यथा को उजागर किया, तब बस्तर जिला प्रशासन ने फौरी मदद के रूप में 60 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की थी। बाद में मकान निर्माण के लिए कलेक्टर चंदन कुमार ने झुमरू राम को और मदद भेजी। झुमरू राम ने स्वयं तथा उसकी पत्नी सुकाली बाई व भतीजे ने मिलजुल कर मकान निर्माण शुरू किया। एसबेस्टस की शीट वाले छोटे छोटे दो कमरों का पक्का मकान तैयार कर लिया गया है। अभी मकान में दीवारों के प्लास्टर का काम बाकी है। झुमरू राम व उसके भतीजे ने बताया कि नया मकान बन जाने से पूरा परिवार बहुत खुश है। झुमरू राम व सुकाली बाई ने कलेक्टर चंदन कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर कुमार और बस्तर के अनुविभागीय दंडाधिकारी वर्मा ने सदाशयता दिखाई है, हम उनका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। झुमरू राम ने कलेक्टर चंदन कुमार और एसडीएम वर्मा से पैतृक व्यवसाय शुरू करने के लिए बांस और औजार खरीदने के लिए भी आर्थिक मदद की गुजारिश की है।



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में अभिव्यक्तियोजना अंतर्गत जागरूकता अभियान बस्तर पुलिस ने चलाया

लक्ष्मण पिछई की रिपोर्ट

जगदलपुर (युवा प्रदेश)। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जगदलपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदलपुर एवं एसडीओपी लौहंडी गुड़ा के निर्देशन पर आज दिनांक 15.3. 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर अभिव्यक्ति योजना अंतर्गत जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत चौकी घोटिया स्टॉप द्वारा ग्राम बड़े चकवा साप्ताहिक बाजार करने वालों को 'अभिव्यक्ति ऐप- डाउनलोड करने, साइबर संबंधित फ्रॉड से बचने, यातायात नियमों का पालन करने, महिला व मानव तस्करी, नशा मुक्ति, पीडित क्षतिपूर्ति योजना की जानकारी दी गई। जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री चंदन कुमार ने किया बास्तानार विकासखंड में संचालित विकास कार्यों का निरीक्षण।

लक्ष्मण पिछई बस्तर

जगदलपुर। कलेक्टर श्री चंदन कुमार ने बुधवार को बास्तानार विकासखंड में संचालित विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण किया। उन्होंने बास्तानार के समीप बन रहे रेस्ट हाउस, ईरपा के देवगुड़ी, मुतनपाल के स्वास्थ्य केंद्र, उचित मूल्य की दुकान में राशन की उपलब्धता, अमृत सरोवर के कार्य, बड़े किलेपाल में संचालित आईटीआई भवन व अन्य भवन के विकास कार्यों और कोडेनार में निर्माणधीन ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने देवगुड़ी के जीर्णोद्धार कार्य को समय-सीमा में पूर्ण कर परिसर में सौंदर्यकरण व वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर इसके उपरांत अति संवेदनशील क्षेत्र में स्थित मुतनपाल पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पहुंचे कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार के संबंध में जानकारी ली। स्वास्थ्य केंद्र में दी जा रही सेवाओं, बाह्य रोगी की पंजी, मरीजों की दी जाने वाली दवाईयों, दवाईयों की उपलब्धता, चिकित्सक और स्टाफ की



जानकारी ली। उपचार के लिए पहुंचे ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने

सरोवर के बंड में शहतूत के पौधों का रोपण और अरहर के बीजों का छिड़काव करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बड़े किलेपाल में संचालित आईटीआई भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान संस्था में पढ़ाई कर रहे बच्चों से उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी लेते हुए इनके शीघ्र निराकरण की बात कही। कलेक्टर ने भवन में विद्युतीकरण के कार्य का अवलोकन कर परिसर को सुरक्षित करने हेतु घेराव करने, निर्माणधीन अन्य भवनों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत कोडेनार में तैयार की जा रही रीपा प्रोजेक्ट का अवलोकन किया। इस दौरान रीपा के लिए निर्माण की जा रही शेडों का निरीक्षण कर मशीनरी की स्थापना, कार्य करने वाली महिला समूहों का प्रशिक्षण, परिसर के अन्य विकास कार्य को 25 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। रीपा के अंतर्गत महिला समूह द्वारा कोदो का प्रसंस्करण कर रही सदस्यों से कलेक्टर ने की चर्चा। इस दौरान अनुविभागीय दंडाधिकारी तोकापाल ऋतुराज बिसेन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आरके चतुर्वेदी, प्रभारी तहसीलदार कैलाश पोयम, सीईओ जनपद आर के कर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो के नाम पर जमकर उगाही

लक्ष्मण पिछई की रिपोर्ट

जगदलपुर (युवा प्रदेश)। बस्तर जिला की शिक्षा विभाग के बिना आदेश की ब्लॉक की 108 स्कूलों में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो पर ₹500 की दर से खरीदने की बाध्यता बीईओ और बीआरसी ने कर दी है। इस पर तुरा की स्कूलों को कम से कम 2 फोटो लेना जरूरी है मजबूर शिक्षक इसी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं खंडी स्टोर समन्वय कार्यालय की मिलीभगत बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि फोटो विक्रय की राशि शिक्षा विभाग अकाउंट की निजी खाते में गई है। शिक्षकों ने आपत्ति जताई लेकिन अधिकारी के आदेश के सामने शिक्षक नतमस्तक हो गए हैं। बीईओ मोतीराम कश्यप से जानकारी चाही गई तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। और उन्होंने कहा कि मुझ से पूर्व शिक्षा अधिकारी द्वारा यह कृत्य किया गया है कह कर पल्ला झाड़ दिया। बिना आदेश खरीदी पर कार्यवाही का आश्वासन जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान से जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार की उन्हें जानकारी नहीं है परंतु सूचना तो मिली थी उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है अकाउंट शिक्षा विभाग द्वारा छायाचित्र का मनमाने ढंग से विक्रय किया जा रहा है उन्होंने यह भी बताया कि राज्य शासन के द्वारा भी इस प्रकार कोई आदेश अब तक प्राप्त नहीं हुआ है बिना आदेश के ही सप्लाई की जा रही है इस पर कड़ी कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है।



